न्यायालय अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः– उम्मेदीलाल मीना आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 15/2023

स्टेट जरिये प्रवर्तन अधिकारी, हनुमानगढ़ ––प्रार्थी

बनाम

श्री राजू पुत्र श्री ठाकुरदास निवासी सिरकी बाजार, हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़। ––अप्रार्थी

मुकदमा अन्तर्गत धारा 6ए ई.सी. एक्ट

उपस्थितः–1 श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अधि.।
2 श्री मो. रफीक अभि. अप्रार्थी।

–:निर्णयः–

दिनांकः –30.06.2025

राजस्थान राज्य जरिये प्रवर्तन अधिकारी हनुमानगढ द्वारा यह प्रकरण प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 31.05.2023 को जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ मय कार्यालय स्टाफ हनुमानगढ़ टाउन में सिरकी बाजार में स्थित पूजा गैस लाईट एवं इलैक्ट्रोनिक्स में घरेलू गैस की अवैध रिफिलिंग एवं कालाबाजारी की सूचना पर उपस्थित हुए। मौके पर उपस्थित दुकान मालिक राजू पुत्र श्री ठाकुरदास की उपस्थिति में दुकान की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान दुकान में 9 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 2 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर, 1 इलेक्ट्रोनिक मोटर मय पाईप एवं रेगुलेटर, गैस रिफिलिंग करने हेतु तैयार की हुई रखे पाये गये व 60 घरेलू गैस उपभोक्ता कॉपी (पास बुक) रखी पाई गई। वक्त मौका सूचना के आधार पर खेत्रपाल मन्दिर, हनुमानगढ़ टाउन के पास बंद दुकान/गोदाम जो राजू पुत्र ठाकूर की होनी बताई, को खुलवाकर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान दुकान/गोदाम में भी 3 घरेलू गैस सिलेण्डर, 1 इलेक्ट्रोनिक मोटर रखे पाये गये। श्री राजू पुत्र श्री ठाकुरदास द्वारा दुकान पर वाहनों में LPG गैस रिफिलिंग करना स्वीकार किया एवं LPG भण्डारण एवं रिफिलिंग हेतु सक्षम स्वीकृती अथवा लाईसेंस नहीं होना बताया। मौके पर श्री राजू पुत्र श्री ठाकुरदास द्वारा अनाधिकृत रूप से पाये गये कुल 14 एलपीजी गैस सिलेण्डर 2 इलेक्ट्रोनिक मोटर मय पाईप एवं रेगुलेटर, 60 घरेलू गैस उपभोक्ता कॉपी से दुकान/गोदाम में LPG घरेलू गैस की अवैध रिफिलिंग एवं कालाबाजारी का होना स्पष्ट करता है जो द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन आदेश 2000 के क्लॉज 3(ख), 4(क) एवं 6 का स्पष्ट उलंघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। श्री राजू पुत्र श्री ठाकुरदास द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन आदेश 2000 के क्लॉज 3 (ख), 4 (क) एव एवं 6 का स्पष्ट उलंघन पाया जाने पर मौके पर पाया गया समस्त सामान 14 एलपीजी गैस सिलेण्डर 2 इलेक्ट्रोनिक मोटर मय पाईप एवं रेगुलेटर, 60 घरेलू गैस उपभोक्ता कॉपी को जब्त कर लिया गया। जब्त की गई उक्त सामग्री श्री सोहनलाल पुत्र श्री जगदीश कुमार हाल कम्प्यूटर ऑपरेटर एस सी एस इण्डेन गैस एजेंसी, हनुमानगढ़ की सुपुर्दगी में दिया गया। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त जब्तशुदा 14 एलपीजी गैस सिलेण्डर 2 इलेक्ट्रोनिक मोटर मय पाईप एवं रेगुलेटर, 60 घरेलू गैस उपभोक्ता कॉपी को राजसात करने के आदेश फरमावें।

अपर जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा 6बी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी जरिये अभिभाषक उपस्थित आये।

अभिभाषक अप्रार्थी ने कथन किये कि अप्रार्थी अपने आस–पास के परिचित घरेलू गैस उपभोक्ताओं के गैस सिलेण्डर भरवाने हेतु रखे हुए थे । अप्रार्थी द्वारा कालाबाजारी एवं व्यवसायिक उपयोग हेतु इन घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग नहीं करता था। अतः अप्रार्थी के जब्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर प्रार्थी को वापिस लौटाये जाने के आदेश फरमाये जावे।

राजकीय अभिभाषक ने बहस में कथन किया है कि प्रवर्तन अधिकारी हनुमानगढ़ द्वारा अप्रार्थी से मौके पर भारत गैस कम्पनी के 6 व इण्डेन गैस के कुल 6 घरेलू गैस सिलेण्डर व 2 सिलेण्डर व्यवसायिक जब्त किये गये है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग करना पाया गया जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश, 2000 के क्लॉज 3 (1) (ग) का उल्लंघन पाया गया जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। इसलिए जब्तशुदा 12 घरेलू गैस सिलेण्डर व 2 व्यवसायिक को राजसात किये जाये।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया कि:–

1. स्टेट जरिये प्रवर्तन अधिकारी हनुमानगढ़ द्वारा जब्ती के समय मौके पर इण्डेन गैस व भारत गैस कम्पनी के 12 घरेलू गैस सिलेण्डर जब्त किया गया है। घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग करना पाया गया है।
2. अप्रार्थी द्वारा जांच अधिकारी को वरवक्त निरीक्षण मौके पर अप्रार्थी के पास वैद्य दस्तावेज नहीं होना तथा वाणिज्यिक परिसर से दौराने घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग करना पाया गया जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश, 2000 के क्लॉज 3 (1) (ग) का उल्लंघन पाया गया जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है जिसके लिए अप्रार्थी अवैध भण्डारण व कारोबार का दोषी है।

अतः जब्तशुदा भारत गैस कम्पनी के 6 व इण्डैन गैस कम्पनी के 6 घरेलू गैस सिलेण्डर के साथ 1 भारत गैस कम्पनी 1 इण्डैन गैस कम्पनी के कुल 2 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर को राज्य के पक्ष में राजसात (Confiscate) किया जाता है।

जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार आगामी कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में इस न्यायालय को प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 30.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

(उम्मेदीलाल मीना)
अपर जिला कलक्टर एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़
अपर जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़